<u>प्रेस नोट</u>

<u>कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)</u>

<u>लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024</u>

<u>दिनांक 02 अप्रैल 2024</u>

दिनांक 02 अप्रैल 2024 को आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के दृष्टिगत सेवा मतदाताओं से डाक मतपत्रो की वापसी के संबंध में डाक विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यलय छत्तीसगढ, रायपुर के सभा कक्ष में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में सहायक संचालक डाक विभाग श्री आलोक गोमास्ता, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (डाक मतपत्र) श्री विनय कुमार अग्रवाल तथा प्रदीप कुमार बैध उपस्थित रहे।

डाक विभाग के अधिकारियों को सेवा मतदाताओं से प्राप्त डाक मतपत्रों के वितरण हेतु लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मुख्यालय जिलों में नोडल अधिकारी तथा पोस्टमैन नामित करने निर्देशित किया गया, जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रतिदिन अपरान्ह 03.00 बजे डाक मतपत्र वितरित करेंगे। डाक मतपत्र वितरण हेतु अधिकृत पोस्टमैन के लिये रिटर्निंग अधिकारी से समन्वय स्थापित कर परिचय पत्र जारी करवाने हेतु निर्देशित किया गया जिससे कि पोस्टमैन को मतगणना के दिन मतदान केंद्र में प्रवेश के दौरान असुविधा ना हो। मतगणना के दिन निर्धारित समय पर डाक मतपत्र वितरण हेतु विशेष सतर्कता बरतने हेतु निर्देशित किया गयझं

डाक सेवा अनिवार्य सेवाओं की श्रेणी में शामिल है अतः निर्वाचन में डाक कर्मियों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु डाक कर्मियों को निर्धारित समयावधि में फार्म 12D में रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन कर मतदान हेतु डाक मतपत्र प्राप्ति के बारे में भी जानकारी दी गई।

छत्तीसगढ़ राज्य मे लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 3 चरणों में सम्पन्न होना है। प्रथम चरण हेतु दिनांक 30/03/2024 को 1603 सेवा मतदाताओं को ePB प्रसारित किये गए है। द्वितीय चरण हेतु दिनांक 08/04/2024 एवं तृतीय चरण हेतु दिनांक 22/04/2024 को सेवा मतदाताओं को ePB ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा।